रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940
No. 300] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

सं. 33/2015–20

विषयः मरम्मत/प्रतिस्थापन के प्रयोजनों के लिए स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्रक्रिया अधिसूचित करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79 ग को शामिल करना।

फा. सं. 01/91/180/18/एएम–17/ईसी.–विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा पैरा 2.79 ग को समाविष्ट करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात से संबंधित पैरा 2.79 ग को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

''पैरा 2.79 ग स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना

क. प्रतिस्थापन/मरम्मत हेतु आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्रः

क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण मदों की मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन के प्रयोजन हेतु कंपनी जहां से इसे आयात किया गया है अथवा इसके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पर अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विचार किया जाएगाः

(क) निर्यात केवल उस कंपनी जहां से मद (मदों) का आयात किया गया है अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को किया जाना चाहिए;

(ख) 'वास्तविक उपयोग' तथा 'वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र' के संबंध में कोई ब्यौरा देना अपेक्षित नहीं होगा;

(ग) आवेदन के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न किया जाए (जो भी लागू/उपयुक्त हो के आधार पर);

i. मद (मदों) के आयात का प्रमाण:

क. प्रविष्टि बिल जिसमें मरम्मत/प्रतिस्थापित की जाने वाली मदों का विवरण हो;
ख. भारत में मदों के मूल आयात के लिए विदेश द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो)

ii. दोषपूर्ण /क्षतिग्रस्त मदों के प्रतिस्थापन अथवा मरम्मत हेतु दायित्व का प्रमाण:

लागू दस्तावेज (दस्तावेजों) में से कोई:

क. आपूर्तिकर्ता/ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) के साथ संविदा करार; अथवा
ख. आयात की शर्तों सहित क्रय आदेश; अथवा
ग. क्षतिग्रस्त/दोषयुक्त मदों के प्रतिस्थापन/मरम्मत की वारंटी नीति/शर्त;

iii. आवेदक फर्म से वचन:

कपंनी के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त निम्नलिखित का उल्लेख हो:

क. प्रतिस्थापन अथवा मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली आयातित मदों का स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याओं) सहित ब्यौरा:

ख. कि प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए मद (मदों) जहां से उनको आयात किया गया था अथवा मूल उपकरण विनिर्माता (मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) उस कम्पनी को निर्यात की जा रही हैं

ग. कि आयात के पश्चात् मद (मदों) के विनिर्देशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

घ. कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों (जो भी लागू हो) का प्रतिस्थापन या मरम्मत आयात या संविदात्मक करार की शर्तों के तहत अनुमत है;

(घ) कंपनी जहां से इसे आयात किया गया था अथवा मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के परामर्श के बिना अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, ओईम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित)से भिन्न किसी कम्पनी को निर्यात के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा उस विदेशी कम्पनी जिसे निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय–पत्रों के सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(ड.) ऐसी सभी प्राधिकार–पत्रों को आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी बाद की बैठक में अनुमोदन की पुष्टि हेतु कार्योत्तर आधार पर लाया जाएगा।

ख. स्वेदशी निर्यातित स्कोमेट मदों के प्रतिस्थापन/मरम्मत हेतु प्राधिकार पत्र:

ऐसी स्कोमेट मदें, जिन्हें भारत से निर्यात किए जाने पर दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मरम्मत या प्रतिस्थापन हेतु वापस लाया गया था, के निर्यात हेतु प्राधिकार–पत्र प्रदान करने संबंधी आवेदन को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया जाएगा:

(क) निर्यात उसी कम्पनी (अंतिम उपयोगकर्ता) को किया जाना चाहिए जिसे आवेदक निर्यातक द्वारा मूल रुप से मद (मदें) निर्यात की गई थी;

(ख) 'अंतिम उपयोग' और 'अतिम उपयोग प्रमाण पत्र' संबंधी किसी भी ब्यौरे की आवश्यकता नहीं होगी,

(ग) आवेदन निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों (जो भी लागू हो, उसके आधार पर) के साथ प्रस्तुत किया गया हो:

i. मद (मदों) के मूल निर्यात का प्रमाण:

क. प्रतिस्थापन/मरम्मत की जाने वाली मदों के निर्यात के लिए जारी स्कोमेट लाइसेंस की प्रतिलिपि;

ख. इन मदों के प्रारंभिक निर्यात के विवरण से युक्त पोतलदान बिल;

ग. प्रतिस्थापन या मरम्मत के लिए आयातित मदों के विवरण से युक्त प्रविष्टि बिल

ii. दोषपूर्ण/टूटी हुई वस्तुओं को बदले जाने या मरम्मत हेतु दायित्व का साक्ष्य:
विदेशी क्रेता से उसके पत्र शीर्ष पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त पत्र जिसमें निर्यात की जाने वाली मद (मदों) की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए मांग की गई हो तथा उसके कारण एवं लागू दस्तावेज (दस्तावेजों) में से कोई एक दस्तावेज;

क. भारतीय निर्यातक/ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) का विदेशी खरीददार के साथ संविदा करार; अथवा

ख. खरीद आदेश जिसमें बदले जाने/मरम्मत संबंधी शर्तें हों;

ग. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों के प्रतिस्थापन/मरम्मत पर वारंटी नीति/शर्तें;

iii. आवेदक कम्पनी से वचनः

फर्म के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित एवं मुहर के साथ अंडरटेकिंग जिसमें कहा गया हो किः

क. स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याओं) के साथ प्रतिस्थापन के रुप में या मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली मदों का विवरण;

ख. यह कि मरम्मत (यदि आयातित और मरम्मत की गई हो) के बाद मद (मदों) के विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं है या प्रतिस्थापित की जा रही मद (मदों) के समान ही विनिर्देशन है;

ग. यह कि मरम्मत के बाद या प्रतिस्थापन के रुप में (यथा लागू) उन्हें उसी कंपनी (अन्तिम वास्तविक प्रयोक्ता) को निर्यात किया जा रहा है जिसे पूर्व में निर्यात किया गया था;

घ. यह कि प्रतिस्थापन या मरम्मत (इसमें से जो भी लागू हो) निर्यात या क्रय आदेश या संविदात्मक समझौता की शर्तों के अधीन अनुमत है;

ड. यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) को इसके प्रतिस्थापन (यदि लागू हो) के 90 दिनों के भीतर भारत वापस लाया गया है या लाया जाएगा;

च. यह कि यदि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद का किसी कारण से आयात नहीं किया जा सकता है तो प्रतिस्थापन के निर्यात के 90 दिनों के भीतर आयातक देश में नष्ट किए जाने का साक्ष्य डीजीएफटी में प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) मूल स्कोमेट लाइसेंस में यथा विनिर्दिष्ट एक ही कम्पनी (कम्पनियों) को/से प्रतिस्थापित/मरम्मत की गई मद (मदों) के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्रों के लिए आवेदन आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के साथ परामर्श किए बिना आईएमडब्ल्यूजी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। तथापि, नई कम्पनी (प्रेषिती) के माध्यम से निर्यात के मामले में नई विदेशी कम्पनी (कम्पनियों) जिसके माध्यम से मद (मदों) का निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय पत्र के सत्यापन के बाद अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

(ड.) ऐसे सभी प्राधिकार पत्रों को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि हेतु अनुवर्ती बैठक में आईएमडब्ल्यू जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

मरम्मत/प्रतिस्थापन प्रयोजनों के लिए स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015—20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79 ग को शामिल किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th September, 2018

No. 33/2015-20

Subject: Inclusion of Paragraph 2.79 C in the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to notify the procedure for export of SCOMET items for repair/replacement purposes.

F.No.01/91/180/18/AM-17/EC.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendment to the Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20 for inclusion of Paragraph 2.79 C, with immediate effect.

2. The para 2.79 C relating to export of SCOMET items for repair/replacement will read as under:

"Para 2.79 C Issue of authorizations for repair/replacement of SCOMET items

A. Authorization for export of imported SCOMET items for replacement/repair:

Application for grant of authorization for export of imported SCOMET items to the entity from which it has been imported or to its OEM (including agencyauthorized by OEM), for the purpose of repair or replacement of damaged/defective items, shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

(a) The export should only be to the entity from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency authorized by OEM);

(b) No details on 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;

(c) The application is accompanied with the following additional documents (depending on whichever is applicable/appropriate):

i. **Proof of import of the item(s)**:

a. Bill of entry containing details of the items to be repaired/replaced;

b. Export License (if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;

ii. **Proof of obligation for replacement or repair of defective/damaged items**:

Any of the applicable document(s):

a. Contract agreement with the supplier/OEM(including agency authorized by OEM); **or**

b. Purchase order containing terms of import; **or**

c. Warranty policy/conditions on replacement/repair of defective/damaged items;

iii. **An Undertaking from the applicant firm**;

An Undertaking on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating:

a. Details of imported items to be exported after replacement or repair alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s);

b. That item (s) are being exported to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) (whichever is applicable) for replacement/ repair;

c. That there has been no change in the specifications of the item(s) after import;

d. That the replacement or repair of defective/damaged items (whichever is applicable) is allowed under the conditions of import or contractual agreement;

(d) Applications for grant of authorizations for export to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to an entity other than the OEM (including agency authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.

(e) All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

B. Authorization for replacement/repair of indigenous exported SCOMET items:

Application for grant of authorization for export of SCOMET items, which on being exported from India, were brought back for repair or being replaced, on being found defective/damaged, and are now being re-exported after replacement/ repair, shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

(a) The export should only be to the same entity (ultimate end user) to which the item(s) were originally exported by the applicant exporter;

(b) No details on 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;

(c) The application is accompanied with the following additional documents (depending on whichever is applicable):

i. **Proof of the original export of the item(s):**

a. Copy of the SCOMET License issued for the export of the items to be replaced/repaired;

b. Shipping bills containing the details of the initial export of these items;

c. Bill of Entry containing details of the items imported for replacement or repair;

ii. **Proof of obligation for replacement or repair of defective/damaged items**:

Letter from the foreign buyer on its letter head, duly signed and stamped, raising the demand for the repair or replacement of the item(s) to be exported and the reason thereof and any of the applicable document(s):

a. Contract agreement of the Indian exporter/OEM (including agency authorized by OEM) with the foreign buyer; **or**

b. Purchase order containing terms of replacement/repair; **or**

c. Warranty policy/conditions on replacement/repair of defective/damaged items;

iii. **An Undertaking from the applicant firm**;

An Undertaking on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating:

a. Details of items to be exported as replacement or after repair along with their SCOMET Category /Sub-category number(s);

b. That there has been no change in the specifications of the item(s) after repair (if imported and repaired) or is of the same specifications as of the item(s) being replaced;

c. That they are being exported to the same entity (ultimate end user) after repair or as replacement (as applicable) to which it was exported earlier;

d. That replacement/ repair (whichever is applicable) is allowed under the conditions of export or purchase order or contractual agreement;

e. That the defective/damaged item(s) has/have already been brought back or would be brought back to India within 90 days of its replacement (if applicable);

f. That, in case the defective/damaged item(s) cannot be imported due to any reason, evidence of destruction in the importing country shall be submitted to DGFT within 90 days of export of replacement.

(d) Applications for grant of authorizations to export the replaced/repaired item(s) to/through the same entity (ies), as specified in the original SCOMET license, shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export through a new entity (consignee), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the new foreign entity (ies) through which the item(s) are to be exported.

(e) All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

3. **Effect of this Public Notice:**

Paragraph 2.79 C has been included in the Handbook of Procedures of FTP 2015- 20 to lay down the procedure for export of SCOMET items for repair/replacement purposes.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.12 09:37:28 +05'30'